रजिस्ट्री सं० डी० एल०-33004/99 REGD. NO. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY
भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)
प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 1170] नई दिल्ली, बुधवार, मई 22, 2013/ज्येष्ठ 1, 1935
No. 1170] NEW DELHI, WEDNESDAY, MAY 22, 2013/JYAISTHA 1, 1935

जल संसाधन मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 22 मई, 2013

का.आ.1324(अ)--केंद्रीय सरकार ने, अंतरराज्यिक नदी जल विवाद अधिनियम, 1956 (1956 का 33) (जिसे इसमें इसके पश्चात् "अधिनियम" कहा गया है) की धारा 4 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, अंतरराज्यिक कावेरी नदी की बाबत जल विवाद का न्यायनिर्णयन करने के लिए अधिसूचना संख्यांक का.आ. 437(अ), तारीख 2 जून, 1990 द्वारा कावेरी जल विवाद अधिकरण (सी.डब्ल्यू.डी.टी.) (जिसे इसमें इसके पश्चात् "अधिकरण" कहा गया है) का गठन किया था ;

और, अधिकरण ने 5 फरवरी, 2007 को 1990 की सिविल विविध याचिका संख्यांक 4, 5 और 9 में अंतिम आदेश (जिसे इसमें इसके पश्चात् "आदेश" कहा गया है) दे दिया है और उसे आगे की आवश्यक कार्रवाई के लिए केंद्रीय सरकार को अग्रेषित कर दिया है ;

और, उच्चतम न्यायालय ने, तमिलनाडु राज्य *बनाम* कर्नाटक राज्य और अन्य के मामले में तारीख 4 फरवरी, 2013 के अपने आदेश द्वारा निम्नलिखित निदेश दिया है :

> "अंतरराज्यिक नदी जल विवाद अधिनियम, 1956 की धारा 6, केंद्रीय सरकार को अधिकरण का विनिश्चय राजपत्र में प्रकाशित करने का आदेश देती है । यद्यपि, अधिकरण द्वारा दिए गए ऐसे विनिश्चय के प्रकाशन के लिए कोई समय-सीमा उपबंधित नहीं है, किंतु उसके अभाव में प्रकाशन युक्तियुक्त समय के भीतर किया जाना है । चूंकि पांच वर्ष से अधिक समय पहले ही बीत चुका है, इसलिए, हम केंद्रीय सरकार को सी.डब्ल्यू.डी.टी. द्वारा तारीख 5 फरवरी, 2007 को दिए गए अंतिम विनिश्चय को यथासंभव शीघ्र और किसी भी दशा में 20 फरवरी, 2013 के अपश्चात् राजपत्र में प्रकाशित करने का निदेश देते हैं ।
>
> यह कहने की आवश्यकता नहीं है कि सी.डब्ल्यू.डी.टी. के अंतिम विनिश्चय का राजपत्र में प्रकाशन लंबित कार्यवाहियों पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना होगा ।"

और, अधिकरण का अंतिम आदेश, उक्त अधिनियम की धारा 6 द्वारा यथाअपेक्षित, भारत सरकार के जल संसाधन मंत्रालय की अधिसूचना सं0 का.आ. 404 (अ), तारीख 19 फरवरी, 2013 द्वारा राजपत्र में प्रकाशित कर दिया गया था ;

और, उच्चतम न्यायालय ने 10 मई, 2013 को अंतरिम निदेश दिया है, जो निम्नलिखित है :

"तारीख 19 फरवरी, 2013 की अधिसूचना द्वारा यथा अधिसूचित तारीख 5 फरवरी, 2007 के अंतिम आदेश को कार्यान्वित करने के लिए पर्यवेक्षण समिति का गठन किया गया है । पर्यवेक्षण समिति में अध्यक्ष के रूप में संघ के जल संसाधन मंत्रालय का सचिव तथा सदस्यों के रूप में क्रमशः कर्नाटक, तमिलनाडु, केरल और पुडुचेरी संघ राज्यक्षेत्र के मुख्य सचिव होंगे ।"

अतः, अब, केंद्रीय सरकार, उक्त अधिनियम की धारा 6क की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, अधिकरण के उक्त आदेश के कार्यान्वयन को प्रभावी करने के लिए, निम्नलिखित स्कीम विरचित करती है, अर्थात् :--

1. (1) इस स्कीम का संक्षिप्त नाम कावेरी जल (2007 के आदेश का कार्यान्वयन) स्कीम, 2013 है ।

(2) यह राजपत्र में इसके प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होगी ।

(3) यह अधिकरण के तारीख 5 फरवरी, 2007 के आदेश द्वारा सिफारिश की गई किसी स्थायी स्कीम अर्थात् कावेरी प्रबंध बोर्ड पर विचार किए जाने और उसका गठन किए जाने तक के लिए बिल्कुल अस्थायी उपाय है ।

2. **पर्यवेक्षण समिति का गठन :** (1) इस स्कीम के अधीन पर्यवेक्षण समिति के रूप में ज्ञात एक समिति होगी (जिसे इसमें इसके पश्चात् समिति कहा गया है) ।

(2) उपनियम (1) में निर्दिष्ट समिति में निम्नलिखित होंगे, अर्थात् :--

(क)	सचिव, जल संसाधन मंत्रालय, भारत सरकार	अध्यक्ष, पदेन
(ख)	कर्नाटक, तमिलनाडु, केरल की राज्य सरकारों और पुडुचेरी संघ राज्यक्षेत्र की सरकार के मुख्य सचिव या सम्यक् रूप से नामनिर्देशित उनके प्रतिनिधि	सदस्य, पदेन
(ग)	अध्यक्ष, केंद्रीय जल आयोग	सदस्य, पदेन
(घ)	मुख्य इंजीनियर, केंद्रीय जल आयोग	सदस्य-सचिव

3. **समिति की भूमिका :** समिति की भूमिका अधिकरण के तारीख 5 फरवरी, 2007 के आदेश के कार्यान्वयन को प्रभावी करने की होगी :

परंतु किसी भी संदेह या कठिनाई की दशा में, पर्यवेक्षण समिति का अध्यक्ष और, यदि आवश्यक हो तो, कोई भी पक्षकार दूसरे राज्यों और संघ राज्यक्षेत्र को नोटिस देकर समुचित निदेशों के लिए माननीय उच्चतम न्यायालय को आवेदन कर सकेगा ।

4. **समिति का अधिवेशन :** समिति, जब भी आवश्यक हो, अधिवेशन बुला सकेगी और अधिवेशन का संचालन करते समय अपनी स्वयं की प्रक्रिया का अनुसरण करेगी ।

5. **कारबार का संचालन :** समिति, अपने कारबार के संचालन के लिए अपनी स्वयं की प्रक्रिया का अनुसरण करेगी ।

6. **समिति का मुख्यालय :** समिति का मुख्यालय नई दिल्ली में होगा ।

7. **वित्तीय उपबंध :** (1) समिति द्वारा उपगत किए जाने के लिए अपेक्षित समस्त पूंजी और राजस्व व्यय प्रारंभिक रूप से उस समय तक केंद्रीय सरकार द्वारा वहन किए जाएंगे, जब तक पक्षकार राज्यों या संघ राज्यक्षेत्र के बीच लागत का हिस्सा, चाहे उनके द्वारा आपसी विचार-विमर्श के माध्यम से विनिश्चित किया जाए या उक्त मामले में अधिकरण द्वारा विनिश्चय किया जाए, जारी नहीं कर दिया जाता है ।

(2) समिति के लेखों का रख-रखाव और उनकी संपरीक्षा ऐसी रीति में की जाएगी, जो केंद्रीय सरकार द्वारा इस निमित्त भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक से परामर्श के पश्चात्, अधिसूचित की जाए ।

भारत के राष्ट्रपति के नाम से और उनके आदेश द्वारा

[फा.सं. 18/4/2013-पैन. रिवर]
डा. एस.के. सरकार, सचिव

MINISTRY OF WATER RESOURCES

NOTIFICATION

New Delhi, the 22nd May, 2013

S.O.1324E) .— Whereas the Central Government, in exercise of the powers conferred by section 4 of the Inter-State River Water Disputes Act, 1956 (33 of 1956) (hereinafter referred to as "the Act") had constituted by notification number S.O. 437(E), dated the 2nd June, 1990, the Cauvery Water Disputes Tribunal (CWDT) (hereinafter referred to as "the Tribunal") to adjudicate upon the water dispute regarding the inter-State river Cauvery;

And whereas, the Tribunal has given final order on the 5th February, 2007 in Civil Miscellaneous Petition Nos. 4, 5 and 9 of 1990 (hereinafter referred as "the Order") and forwarded the same to the Central Government for further necessary action;

And whereas, the Supreme Court in the matter of State of Tamil Nadu versus State of Karnataka and others vide its order dated the 4th February, 2013 has given its direction which reads as under:

"Section 6 of the Inter State River Water Disputes Act, 1956 mandates the Central Government to publish the decision of the Tribunal in the official gazette. Although no time frame is provided for publication of such decision by the Tribunal, but in absence thereof, publication has to be done within reasonable time. Since more than five years have already elapsed, we direct the Central Government to publish in official gazette the final decision given by CWDT dated February 5, 2007 as early as may be possible and in no case later than February 20, 2013.

Needless to say that publication of the final decision of CWDT in official gazette shall be without prejudice to the pending proceedings."

And whereas, the final order of the Tribunal was published in the Gazette of India by the Central Government as required by section 6 of the said Act vide notification of the Government of India in the Ministry of Water Resources, No. S.O. 404(E), dated the 19th February, 2013;

And whereas, the Supreme Court has given its interim direction on the 10th May, 2013 which reads as under:

"A Supervisory Committee is constituted for implementation of the final order dated February 5, 2007 as notified vide Notification dated February 19, 2013. The Supervisory Committee shall consist of the Secretary, Union Ministry of Water Resources as Chairman and the Chief Secretaries of the respective States of Karnataka, Tamil Nadu, Kerala and Union Territory of Puducherry as Members."

Now, therefore, in exercise of powers conferred by sub-section (1) of section 6A of the said Act, the Central Government hereby frames the following Scheme to give effect to the implementation of the said Order of the Tribunal, namely:—

1. (1) This Scheme may be called the Cauvery Water (Implementation of the Order of 2007) Scheme, 2013.
   (2) It shall come into force on the date of its publication in the Official Gazette.
   (3) It is purely a temporary measure until a permanent Scheme namely the Cauvery Management Board as recommended by the Order dated the February 5, 2007 by the Tribunal is considered and constituted.
2. **CONSTITUTION OF THE SUPERVISORY COMMITTEE**:— (1) There shall be a Committee under this scheme to be known as the Supervisory Committee (hereinafter referred to as the Committee).

(2) The Committee referred to in sub-rule (1) shall consist of the following, namely:—

(a) Secretary, the Ministry of Water Resources, Government of India	Chairman, ex officio
(b) Chief Secretaries to the State Governments of Karnataka, Tamil Nadu, Kerala and the Union Territory of Puducherry or his duly nominated representative	Members, ex officio
(c) Chairman, Central Water Commission	Member, ex officio
(d) Chief Engineer, Central Water Commission	Member-Secretary

3. **ROLE OF THE COMMITTEE:**—The role of the Committee shall be to give effect to the implementation of the Order dated the 5th February, 2007 of the Tribunal:

Provided that in case of any doubt or difficulty, the Chairman, Supervisory Committee and, if necessary, any of the parties may apply to Hon'ble Supreme Court for appropriate directions with notice to the other States and the Union Territory.

4. **MEETINGS OF THE COMMITTEE:**—The Committee may convene meetings as and when necessary and follow its own procedure while conducting of the meeting.

5. **CONDUCT OF BUSINESS:**—The Committee shall follow its own procedure for conducting of its business.

6. **HEADQUARTERS OF THE COMMITTEE:**—The Headquarters of the Committee shall be at New Delhi.

7. **FINANCIAL PROVISIONS:**— (1) All the capital and revenue expenditure required to be incurred by the Committee shall be borne by the Central Government initially till the issue of sharing of cost among the party States or the Union Territory is either decided by them through mutual discussions or till the Tribunal takes a decision on the above matter.

(2) The accounts of the Committee shall be maintained and audited in such manner as may be notified by the Central Government, in consultation with the Comptroller and Auditor General of India, in this behalf.

By Order and in the name of the President of India.

[F. No. 18/4/2013-Pen. River]
Dr. S.K. SARKAR, Secy.

Printed by the Manager, Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054.